भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 586
जिसका उत्तर गुरुवार, 07 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

वैकल्पिक विवाद समाधान

586. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) पारंपरिक न्यायिक तंत्र की तुलना में एडीआर निकायों द्वारा किसी मामले को निपटाने में लगने वाला औसत समय कितना है ;

(ग) सरकार द्वारा एडीआर निकायों को पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि प्रत्यायोजित की गई है ;

(घ) देश में एडीआर निकायों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ङ) क्या सरकार के पास एडीआर निकायों के कामकाज के संबंध में कोई विशिष्ट तंत्र है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) जनता के बीच एडीआर के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : सरकार माध्यस्थम् और मध्यकता सहित एडीआर तंत्र को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये तंत्र कम प्रतिकूल हैं और विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं । एडीआर तंत्र के उपयोग से न्यायपालिका पर बोझ कम होने की भी उम्मीद है और यह देश के नागरिकों को समय पर न्याय प्रदान करने के लिए समर्थ बनाएगा । इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों में की गई कुछ प्रमुख पहलों में सम्मिलित हैं :- माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996, जो घरेलू माध्यस्थम्, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के साथ-साथ सुलह संबंधित विधि को परिभाषित करने की दृष्टि से और उससे संसक्त विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था । माध्यस्थम् परिदृश्य में वर्तमान विकास के साथ तालमेल बनाए रखने और माध्यस्थम् को एक व्यवहार्य विवाद समाधान तंत्र के रूप में समर्थ बनाने के लिए, माध्यस्थम् विधि में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं । ये परिवर्तन माध्यस्थम् कार्यवाहियों के समय पर समापन को सुनिश्चित करने, माध्यस्थम् प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने और माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन के लिए एक आदर्श बदलाव का संकेत देने में सक्षम हैं ।

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015, माध्यस्थम् कार्यवाहियों के शीघ्र, त्वरित और समयबद्ध निर्णय, मध्यस्थों की तटस्थता और लागत-प्रभावी परिदान तंत्र का उपबंध करता है । इसके पश्चात् देश में संस्थागत माध्यस्थम् को बढ़ावा देने और तदर्थ माध्यस्थम् की भागीदारी को कम करने के मुख्य उद्देश्य से माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 लाया गया था । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 34, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के द्वारा संशोधित की गई थी, जो माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था । संशोधन, अन्य बातों के साथ-साथ, माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन पर बिना शर्त रोक लगाने का उपबंध करता है, जहां अंतर्निहित माध्यस्थम् करार, संविदा या माध्यस्थम् पंचाट का किया जाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित हो ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, संस्थन-पूर्व माध्यस्थम् और निपटारा (पीआईएमएस) तंत्र का उपबंध करने के लिए वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था । इस तंत्र के अधीन, जहां विनिर्दिष्ट मूल्य का वाणिज्यिक विवाद कोई तत्काल अंतरिम अनुतोष अनुध्यात नहीं करता है, पक्षकार, न्यायालय जाने से पहले पीआईएमएस के आज्ञापक उपचार का उपयोग करना होगा । इसका उद्देश्य पक्षकारों को माध्यस्थम् के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान का अवसर प्रदान करना है ।

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019, संस्थागत माध्यस्थम् को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्वस्तरीय निकाय सृजित करने के प्रयोजन के लिए और केंद्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (केंद्र) की स्थापना और निगमन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । केंद्र, जब से स्थापित किया गया है, अपने तत्वावधान के अधीन आवश्यक अवसंरचना और गुणवत्तापूर्ण विधिक और प्रशासनिक विशेषज्ञता प्रदान करने वाले पेशेवर प्रबंधन से सुसज्जित है, और माध्यस्थम् के संचालन के लिए प्रतिष्ठित मध्यकों को सूचीबद्ध करता है । केंद्र, अपनी सुविधाओं पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों प्रकार के वाणिज्यिक विवादों के लिए लागत प्रभावी रीति से विश्वस्तरीय माध्यस्थम् संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें माध्यस्थम् कार्यवाहियों के सुचारू संचालन में अपेक्षित प्रशासनिक सहायता भी सम्मिलित है ।

माध्यस्थम् अधिनियम, 2023, विवाद के पक्षकारों द्वारा अपनाए जाने वाले माध्यस्थम् के लिए विधायी ढांचा अधिकथित करता है, विशेष रूप से संस्थागत माध्यस्थम्, जहां भारत में एक मजबूत और प्रभावकारी माध्यस्थम् पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न पणधारियों की पहचान की गई है । माध्यस्थम् विधि, माध्यस्थम् को व्यापक मान्यता प्रदान करने और न्यायालय के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की संस्कृति की अभिवृद्धि को समर्थ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी हस्तक्षेप साबित होगा ।

(ख) : सरकार द्वारा ऐसा कोई आंकडा नहीं रखा जाता है ।

(ग) : भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र, माध्यस्थम् के प्रशासन और संचालन के लिए एक संस्था, की स्थापना 13 जून, 2022 को भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अधीन की गई थी । भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र, राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था, को जारी की गई निधियां निम्नानुसार है :

वर्ष	**जारी की गई निधियां (भारतीय रुपयों में)**
2022-23	2.25 करोड़
2023-24 (29 नवंबर, 2023 तक)	1.50 करोड़

वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) के दौरान भारत सरकार से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण

नीचे दिया गया । तथापि, किसी विशिष्ट विधिक सहायता स्कीम/कार्यक्रम के लिए अलग से कोई निर्धारित निधि चिन्हित नहीं की जाती है । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के विधिक सेवा प्राधिकरणों को निधियों का आवंटन सभी क्रियाकलापों के लिए समेकित आधार पर किया जाता है ।

क्र.सं.	वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अनुदान
2019-20	140.00 करोड़
2020-21	100.00 करोड़
2021-22	145.00 करोड़
2022-23	190.00 करोड़
2023-24 (नवंबर, 2023 तक)	150.00 करोड़

(घ) : सरकार द्वारा ऐसा कोई आंकडा नहीं रखा जाता है ।

(ङ) : विभिन्न कानूनी उपबंध एडीआर पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्वायत्त निकायों के संबंध में तंत्र को सक्षम बनाते हैं और उसका उपबंध करते हैं । माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग 1क में, भारतीय माध्यस्थम् परिषद् के संबंध में उपबंध अंतर्विष्ट हैं । भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019, भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना और उसके कार्यकरण का उपबंध करता है । माध्यस्थम् अधिनियम, 2023 में भारतीय माध्यस्थम् परिषद के संबंध में उपबंध अंतर्विष्ट हैं ।

(च) : सरकार, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठा रही है । इस संबंध में, 26.11.2023 को संविधान दिवस के समारोह के दौरान, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग द्वारा "वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए एक मार्गदर्शिका" नामक एक पुस्तक जारी की गई है ।

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र ने अपनी स्थापना के पश्चात् से, माध्यस्थम् पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पणधारियों के लिए विभिन्न कार्यशालाएं, सम्मेलन और सेमिनार आयोजित किए हैं और समयबद्ध, प्रभावकारी और लागत प्रभावी विवाद समाधान को समर्थ करने के लिए पक्षकारों को संस्थागत माध्यस्थम् अपनाने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया है ।

इसके अतिरिक्त, लोक अदालतें सी.पी.सी. की धारा 89 के अधीन वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र में से एक हैं । देश भर में लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपबंधों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 2 (ककक) के अधीन यथापरिभाषित न्यायालयों और अभिकरणों में उक्त अधिनियम और विनियमों के अधीन यथाविहित विषयवस्तु के लिए किया जाता है । लोक अदालत में, न्यायालयों में या मुकद्दमा-पूर्व स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है । लोक अदालत को न्याय प्रशासन की एक त्वरित, कम खर्चीली और तेज़ प्रणाली के रूप में इसकी प्रभावकारिता को मान्यता देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन कानूनी प्रास्थिति दी गई है । लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट सिविल न्यायालय का डिक्री माना जाता है और सभी पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष इसके पंचाट के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है ।

महामारी के परिदृश्य में, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) ने नवीन रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया और ई-लोक अदालत की शुरुआत की है, लेकिन अब भी एलएसए तकनीकी मंच के अनुकूलन के साथ बेहतर पद्धतियों का समर्थन करना जारी रखे हुए हैं ।

एक समय में लोक अदालत काफी हद तक एक न्यायालय से जुड़ी प्रक्रिया बनकर रह गई थी, जो अनिवार्य रूप से लंबित मुकदमेबाजी को कम करने की दिशा में काम करती थी और इस कार्य को

जारी रखती थी, लेकिन एलएसए एक कदम आगे बढ़ गए हैं । मुकदमेबाजी-पूर्व चरण पर विवादों के शीघ्र निपटान की प्रक्रिया ने अभी तक प्राइवेट या व्यक्तिगत मुकदमेबाजी का ध्यान नहीं खींचा है ; इसके अतिरिक्त, इसे बैंक, बिजली वितरण और लोक उपयोगिता क्षेत्र की कंपनियों आदि जैसे संस्थागत वादियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिनमें मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने की बड़ी क्षमता है ।

नाल्सा देश भर में एक वर्ष में 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर रहा है, मुख्य रूप से दूसरे शनिवार को, जो छुट्टी का दिन होता है । राज्य प्राधिकरण, किसी भी महीने या निश्चित अंतराल के पश्चात् राज्य स्तरीय लोक अदालत का कार्यक्रम निर्धारित करने और उन्हें आयोजित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को अधिक से अधिक लोक अदालतें आयोजित करने के लिए नाल्सा द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के माध्यम से दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि लंबित मामलों को कम किया जा सके।

नाल्सा ने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से पहले तैयारियों का जायजा लेने और सभी पणधारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ बातचीत करती है । एनएएलएसए के तत्वावधान में विधिक सेवा प्राधिकरण पणधारियों के साथ विभिन्न तैयारी बैठकें आयोजित करते हैं और स्थानीय मीडिया के माध्यम से प्रचार भी करते हैं।

तकनीकी प्रगति और आभासी प्लेटफार्मों का उपयोग करते हुए, विधिक सेवा प्राधिकरण पक्षकारों के दरवाजे तक पहुंचने लगे है। परिणामस्वरूप, पक्षकार अपने घरों या कार्यस्थलों से पूर्व-लोक अदालत बैठकों के साथ-साथ लोक अदालत की कार्यवाही में सम्मिलित होने में सक्षम हुए, जिससे उन्हें यात्रा की परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार लोक अदालतों के पर्यवेक्षण और निगरानी के प्रभावी तरीके विकसित करने के लिए एनएएलएसए द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था। एसएलएसए ने पारंपरिक प्रणाली पर दबाव कम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म/ऑनलाइन मोड के माध्यम से नोटिस की तामील के लिए, विनिर्दिष्ट विषयवस्तु, अर्थात् यान दुर्घटना दावे/भूमि अधिग्रहण मामले/पारिवारिक विवाद मामले, आईपीआर मामले/उपभोक्ता मामले/किसी अन्य अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष लंबित अन्य मामले, राजस्व और राज्य/जिला/तालुका प्राधिकरणों के समक्ष संस्थित अन्य सहायक मामलों, पर लोक अदालतों की योजना बनाने और आयोजित करने के लिए संबंधित पणधारियों के साथ परामर्श के निदेश जारी किए हैं ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए वर्ष भर का कैलेंडर जारी करता है ।

वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम इस प्रकार है :--

क्र.सं.	**मास**	**तारीख**
1.	फरवरी	11.02.2023
2.	मई	13.05.2023
3.	सितंबर	09.09.2023
4.	दिसंबर	09.12.2023

इसके अतिरिक्त, राज्य लोक अदालतों की आवृत्ति स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा अवधारित की जाती है ।

****